(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3850–तीन/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 25–09–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 418/अ–6/2012–13

.....

1– संजय शर्मा पुत्र श्री भगवान चरण शर्मा

2– सुनील शर्मा पुत्र श्री भगवान चरण शर्मा

निवासीगण–सिद्ध गनेशन मार्ग, छतरपुर,

तहसील व जिला–छतरपुर (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर,

जिला–छतरपुर (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय अभिभाषक , अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 229/1 क, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 232/3, 232/4/1, 232/6, 232/7, 233/1, 234/8/1, 235/3/1, 236/1/1, 292/1 क/1, 293, 294/1/1 कुल किता 17 रकबा 1.010 है0 एवं खसरा नंबर 3 अन्य सहित कुल भूमि रकबा 1.683 है0 स्थित मौजा छतरपुर पटवारी हल्का नंबर 51 में आवेदकगण के पिता भगवानचरण शर्मा एवं पटवारी भाई मुकुन्दीलाल के सहखाते में राजस्व अभिलेख में अंकित है । उक्त विवादित भूमि पर भूमि स्वामी भगवानचरण की मृत्यु दिनांक 4.10.2011 को हो जाने के पश्चात आवेदकगण द्वारा पिता के स्थान पर फौती दर्ज कर वारिसान के नाम नामांतरण किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार छतरपुर के समक्ष पेश किया गया । तहसीलदार छतरपुर द्वारा इस आशय से नामांतरण नहीं किया गया कि अपर आयुक्त सागर द्वारा अन्य प्रकरण क्रमांक 16/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2012 द्वारा स्थंगन दिया गया है जिससे फौती नामांतरण किया जाना संभव नहीं है । तहसीलदार छतरपुर के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 126/अपील/अ–6/2011–12 में पंजीबद्ध किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये लेख के आधार पर आदेश दिनांक 11.03.2013 पारित कर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गयी जो प्र0क्र0 418/अ–6/2012–13 में दर्ज किया गया । अपर आयुक्त सागर द्वारा अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित मानते हुये दिनांक 25.09.2013 को प्रस्तुत अपील निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरणों को समझने में त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त के समक्ष लंबित तथाकथित प्रकरण में विवाद केवल आवेदकगण के पिता तथा चाचा द्वारा कुछ भूमियों का संयुक्त रूप से किए गये विक्रय के विषय में था । शेष भूमियों

के विषय में नहीं था बल्कि विक्रय की गई कुछ भूमियों के विषय में था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त सागर द्वारा उक्त प्रकरण में पारित स्थंगन आदेश के आधार पर आवेदकगण के पिता का शेष भूमियों के 1/2 हिस्सा की भूमि पर आवेदकगण के नाम वारिसाना नामांतरण किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता था । विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा उन्हें नामांतरण की अधिकारिता होते हुये भी अपनी अधिकारिता का उचित रूप से प्रयोग न करते हुये आवेदकगण का आवेदन खारिज करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित स्थंगन आदेश के होते हुये भी आवेदकगण का आवेदन खारिज किया गया है । स्थंगन आदेश होते हुये भी आवेदकगण का उनके पिता की 1/2 हिस्सा की भूमि पर नामांतरण किया जाना चाहिये था । आवेदकगण के नाम नामांतरण किये जाने से विवादित भूमियों में से 1/2 हिस्सा की भूमियों के विषय में कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वर्तमान में 1/2 हिस्सा भूमियों पर आवेदकगण के स्वर्गीय पिता का नाम है, आवेदकगण के नाम नामांतरण किये जाने से उसी स्थान पर आवेदकगण का नाम आ जायेगा । यदि कोई संयुक्त खातेदार संयुक्त भूमियों में से अपने हिस्से की भूमियों का अंतरण कर देता है तब अंतरणकर्ता के हिस्सा पर अंतरिती/अंतरणग्रहिता का नाम नामांतरण किया जावेगा, अर्थात उसके नामांतरण आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता । संहिता की धारा 109, 110, नामांतरण नियमों के नियम 32 तथा संहिता की धारा 164 के आज्ञापक उपबंधों के प्रतिकूल आदेश पारित किये गये है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से

स्पष्ट है कि उन्होंने उनके समक्ष लंबित कार्यवाही अपने आदेश दिनांक 28–2–12 द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी कि अन्य प्रकरण कमांक 16/बी–121/2011–12 जो अपर आयुक्त के समक्ष लंबित है, में स्थगन है । मौखिक तर्क के दौरान आवेदक ने अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 89/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13–3–12 की छायाप्रति पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने उनके समक्ष लंबित प्रकरण कमांक 16/बी–121/2011–12 का भी निराकरण करते हुये उक्त निगरानी खारिज कर दी है । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि के साथ तहसीलदार को उनके समक्ष कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने के लिये अनुरोध करें । साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आवेदन तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर वह उनके समक्ष लंबित प्रकरण कमांक 19/अ–6/2011–12 को पुनः नियमानुसार सुनवाई में लेवें ।

6– उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर